प्रमाणित छाया प्रतिलिपि निर्णय दि 22-9-17 उ.नं. 15/16

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – लक्ष्मीकान्त कटारा ,आर0ए0एस0

मुकदमा न0 15 / 2016 तारीख रजू 06.12.2016

1– शारदा शर्मा पुत्री स्व0 श्री जमनालाल पत्नि गोपाल जाति ब्राहम्मण निवासी सुनारी तहसील व जिला सवाई माधोपुर स0माधोपुर

–अपीलांट

बनाम

1–.ग्राम पंचायत सुनारी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत तहसील व जिला सवाई माधोपुर

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री बच्चूसिंह जाट -- वकील अपीलांट

श्री महेन्द्रवर्मा -- वकील –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक: 22.09.2017

अपील अन्तर्गत धारा 75एल0आर0एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.11.2016 ग्राम पंचायत सुनारी नामान्तकरण संख्या 789 पेश की है । जिसमें अंकित किया है कि अपीलांट ग्राम सुनारी की पुत्री है ,जिसके दादा का नाम रामनारायण था , जिनके दो पुत्र पैदा हुए बडा पुत्र जमनालाल व छोटा पुत्र गोपाल जिनकी मां का नाम पार्वती था रामनारायण की मृत्यु हो चुकी है । जमानालाल के एक पुत्री अपीलांट का जन्म हुआ जिसका लालनपालन दादी व पिता के द्वारा किया था । जमानालाल की मृत्यु हो गई । जिसका विरासत का नामान्तकरण खोला है वह सही खोला गया है । जिसके बाद पार्वती देवी की मृत्यु हो गई जिसका विरासत का नामान्तकरण खोला जिसके नंबर 789 हल्का पटवारी द्वारा भरकर पेश किया जिसे आपसी रंजिशवश ग्राम पंचायत द्वारा खारिज किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट की अपील पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि विरूद्व है जो निरस्त किये जाने योग्य है । जमनालाल की मृत्यु होने के कारण विरासत का नामान्तकरण पूर्व में ही खोला जा चुका था जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नही है । अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 789के भरने से पूर्व गांव में मौतबिरान व्यक्तियों व अपीलंट के परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों के बिना जानकारी जॉच पडताल किये प्रस्ताव संख्या 3 का काकमांक एसपी–1दिनाक 12.1116 की लेखन आपसी व चुनाव की रंजिश के कारण लिखी गई है जा खारिज किये जाने योग्य है । जमनालाल की जानकारी कर सही भरागया था ग्राम पंचायत द्वारा जमनालाल के वारिस की किसी भी प्रकार की जानकारी हांसिल नही की गई है । अपील अपीलांट की ओर से पूछकर श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.11.16को खारिज किया गया नामान्तकरण संख्या 789के आदेश को खारिज कर मृतक जमानालाल की एक मात्र वारिस अपीलांट के नाम खोले जाने के आदेश जारी करने की कृपा करे ।

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि 23.9.17

अपील दर्ज रजिस्टर कर नोटिस बनाम रेस्पाडेन्ट जारी किये गये । रेस्पाडेन्ट न0 1 की ओर से श्री महेन्द्र वर्मा एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार सवाई माधोपुर को भी पक्षकार बनाया गया ।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया तथा अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया । विवादित नामान्तकरण संख्या 789 दिनांक 12.11.16ग्राम सुनारी का अवलोकन किया गया । उक्त नामान्तकरण संख्या 789 जो पार्वती के फोत होने पर जो विरासत का नामान्तकरण खोला गया है ,उसको सरपंच ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.11.16 के द्वारा खारिज कर दिया गया है । ग्राम पंचायत को विवादित नामान्तकरण को फैसल करने का क्षेत्राधिकार भी नहीं है बल्कि विवादित नामान्तकरण को तहसीलदार सवाई माधोपुर के समक्ष अग्रेषित करना चाहिए था ।

चूंकि रामनारायण के फोत होने पर जमाबन्दी में कॉलम सं0 7 में अंकित वारिसान के नाम नामान्तकरण खुला हुआ था तथा पार्वती के फोत होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण भरकर सरपंच ग्राम पंचायत सुनारी के समक्ष पेश किया गया था,जो खारिज किया जा चुका है । अपीलान्ट शारदा देवी जमनालाल की पुत्री है । अतः नामान्तकरण संख्या 789 दिनांक 12.11.16 अपास्त किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि रामनारायण के वारिसान की पुनः जॉच की जाकर नियमानुसार रामनारायण व पार्वती के वारिसान के नाम नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2017 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रमाणित छाया प्रतिलिपि

उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

9/10/17

ASC/2017/1782

1.
2.
3.
7.
8.
9. ता.

453
9.10.17
9.10.17
10.10.17

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

शारदा देवी
10-10-17